संख्या-32/2026/1299/36-4-2026-2089021

प्रेषक,

कुणाल सिल्कू,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

श्रमायुक्त,
उ0 प्र० कानपुर।

श्रम अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 17-09-2026

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-76 के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-497-98/लेखा-बजट/2026-27/पुनर्विनियोग (एफ-230), दिनांक 09.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 25 से 29 सितम्बर, 2026 तक जनपद गौतमबुद्धनगर में आयोजित उत्तर प्रदेश इण्टरनेशनल ट्रेड शो के सफल आयोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-76 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2230-01-101-04-02-01" में प्रावधानित कुल धनराशि रू0 3608.63 लाख (रु० उत्तीस करोड आठ लाख तिरसठ हजार मात्र) में सम्भावित बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्ष "2230-01-101-04-02-42" में धनराशि रूपये 10.00 लाख की व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिनांक 25 से 29 सितम्बर, 2026 तक जनपद गौतमबुद्धनगर में आयोजित उत्तर प्रदेश इण्टरनेशनल ट्रेड शो के सफल आयोजन हेतु रू0 10,00,000/- (रुपया दस लाख मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 076 के लेखा शीर्षक "2230-01-101-04-02" के मानक मद "01-वेतन" में से उसी लेखाशीर्ष के मानक मद "42- अन्य व्यय" में पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त
धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है, उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है. उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रु० 10.00 लाख (रुपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 076 लेखा शीर्षक "2230-01-101-04-02 के मानक मद "01-वेतन" में से मानक मद "42- अनय व्यय" के नाम डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च 2026 में विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुणाल सिल्कू)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ० प्र० (प्रथम द्वितीय) 30प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर ।
3- निदेशक, वित्त एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-6
6- गार्ड फाइल ।

आजा से,

(किरन कुमारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।